**250 16 सीपीएसई के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान।**

उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) 27.07.1998 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन सं. 2(9)/95–डीपीई (डब्ल्यूसी) कि अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के राजपत्र में दिनांक 18.05. 2010 की अधिसूचना ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 15) के जरिये ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1972 संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के अनुसरण में, शब्द 'तीन लाख पचास हजार रूपए' को शब्द 'दस लाख रूपए' से प्रतिस्थापित करने के लिए ग्रेच्यूटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा 3 संशोधित की गई है।

2. श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 24.05.2010 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1217(ई) के अनुसार, केन्द्र सरकार ने 24 मई, 2010 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया है जिस पर उक्त अधिनियम लागू होगा।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह सूचना और अनुपालन के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के उपरोक्त नोटिस में लाएं।

**(**डीपीई का. ज्ञा. सं. **2(25)/10–डीपीई–(डब्ल्यूसी)–जीएल–X/2010, 02 जून, 2010)**

*****